

The
Post Mayor

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) – पूरी जानकारी

सितम्बर 19, 2019 by Yashvi Singh



प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

आयु वर्ग	14 – 60 वर्ष
ट्रेनिंग फ़्रीस	शुन्य
ट्रेनिंग अवधि	20 घंटे (न्यूनतम अवधि 10 दिन, अधिकतम अवधि 30 दिन)

ट्रेनिंग स्थान	मान्य कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
ट्रेनिंग की भाषा	भारत की सभी आधिकारिक भाषाएँ
ईमेल	helpdesk@pmgdisha.in
फ़ोन	1800 3000 3468

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) की वेबसाइट के अनुसार इस योजना का उद्देश्य देश के 6 करोड़ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, 31 मार्च 2020 तक देश के तकरीबन 40 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में से कम से कम एक सदस्य को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने की योजना है। PMGDISHA की शुरुआत फ़रवरी 2017 में की गयी।

2014 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) द्वारा शिक्षा पर किये गए सर्वे के अनुसार भारत में केवल 6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास घर में एक कंप्यूटर हैं। जिसका मतलब है 15 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास कंप्यूटर नहीं है व इन परिवारों का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा डिजिटल रूप से निरक्षर या अनपढ़ है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत शुरू की गई **प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)** योजना के तहत इन परिवारों में डिजिटल जागरूकता व शिक्षा को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) क्या है?

प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को कंप्यूटर व डिजिटल उपकरणों जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि की ट्रेनिंग, ईमेल भेजना व रिसीव करना, इंटरनेट चलाना, इंटरनेट से सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना, इंटरनेट पर जानकारी ढूँढना व ऑनलाइन पेमेंट करना आदि की ट्रेनिंग दी जा जाती है।



प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)

1

यह स्कीम फरवरी 2017 में सरकार द्वारा शुरू की गयी

2

2 वर्षों के भीतर 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य

3

ग्रामीण भारत में हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने का उद्देश्य

4

डिजिटल रूप से निरक्षर SC, ST, BPL, महिला, दिव्यांग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है

5

मुख्य रूप से प्रशिक्षण सीएससी केंद्रों के माध्यम से दिया जाता है

3

डिजिटल उपकरणों के संचालन के लिए सूचना व ज्ञान कौशल नागरिकों तक पहुंचा कर सशक्त बनाने का उद्देश्य

प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)

PMGDISHA के अंतर्गत डिजिटल असाक्षर अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), गरीबी रेखा के नीचे (BPL), महिलाओं, दिव्यांग व अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के तहत दी जाने वाली ट्रेनिंग, कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) में प्रदान की जाती है व PMGDISHA ट्रेनिंग निशुल्क होती है।

प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान में कौन ले सकता है भाग? PMGDISHA eligibility

PMGDISHA के तहत 2020 तक तकरीबन 52.5 लाख लोगों को आईटी (IT) ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ पात्रता मापदंड (eligibility criteria) हैं। PMGDISHA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से हैं:

- प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) योजना केवल देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए **वह परिवार योग्य हैं** (eligible households) जिनमें परिवार का कोई सदस्य डिजिटल तरीके से साक्षर ना हो व उस परिवार में किसी को भी

कंप्यूटर की जानकारी ना हो। एक परिवार में घर का मुखिया, उनकी पत्नी, बच्चे व माता-पिता आते हैं।

- **योजना में भाग लेने के लिए जरूरी मापदंड (entry criteria):**
 - परिवार द्वारा नामांकित सदस्य डिजिटल असाक्षर हो अथवा उनको पहले से कंप्यूटर व इंटरनेट सम्बन्धी जानकारी न हो,
 - एक परिवार से केवल एक सदस्य ही इसकी ट्रेनिंग ले सकता है व PMGDISHA का लाभ उठा सकता है,
 - ट्रेनिंग लेने वाले सदस्य की **आयु 14 से 60 वर्ष** के बीच होनी चाहिए।
- **इस योजना के तहत कुछ समुदायों को प्राथमिकता दी जाती है यह इस प्रकार से हैं:**
 - गैर-स्मार्टफोन उपयोगकर्ता, अंत्योदय परिवार, कॉलेज छोड़ चुके व्यक्ति, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रतिभागी,
 - कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र-छात्राएं जिनको डिजिटल साक्षरता नहीं है व उनके स्कूल में भी कंप्यूटर ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है,
 - इसके साथ ही अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), गरीबी रेखा के नीचे (BPL), महिलाओं, दिव्यांग व अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

इस योजना के लाभार्थियों की पहचान CSC-SPV द्वारा डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी (DeGS), ग्राम पंचायतों तथा ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों के साथ मिल कर की जाती है।

PMGDISHA के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें

यदि आप या आपके परिवार में से कोई PMGDISHA ट्रेनिंग लेना चाहता है तो इसके लिए आप अपने नजदीकी CSC ट्रेनिंग सेंटर में जा कर अपना पंजीकरण कराएं। PMGDISHA के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री होता है व रजिस्ट्रेशन के लिए आपके आधार कार्ड की भी जरूरत होती है।

आपके नजदीक PMGDISHA केंद्र

अपने नजदीकी CSC केंद्र ढूंढने के लिए आप <https://locator.csccloud.in/> इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ आपको अपने राज्य, जिले व तहसील का नाम चुनना है और आपके सामने उस तहसील के सभी CSC केंद्रों की सूची खुल जाएगी।

उसके बाद आप उस केंद्र पर जा कर अपना पंजीकरण कराएं व PMGDISHA ट्रेनिंग लें।

PMGDISHA (Pradhan Mantri Digital Saksharta Abhiyan) ट्रेनिंग प्रोसेस

प्रधान मंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) का ट्रेनिंग प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होता है:

1. सबसे पहले अभ्यर्थी का PMGDISHA पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है। यह आप स्वयं व अपने ट्रेनिंग सेण्टर की मदद से कर सकते हैं।
2. रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रेनर के द्वारा वीडियो की मदद से अभ्यर्थी को पढ़ाया जाता है।
3. अभ्यर्थियों को डिजिटल उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण सहायता दी जाती है।
4. USSD/UPI/e-Wallet आदि का उपयोग कर अभ्यर्थियों द्वारा डिजिटल लेनदेन कराया जाता है। हर अभ्यर्थी को कम से कम 5 ट्रांसक्शन करनी होती है।
5. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अभ्यर्थी PMGDISHA का ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण जरूरी होता है।

Pradhan Mantri Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) सर्टिफिकेट

PMGDISHA सर्टिफिकेट आपको ट्रेनिंग के बाद मिलता है। ट्रेनिंग के बाद ऑनलाइन टेस्ट होता है। इस ऑनलाइन टेस्ट में 25 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से अगर 7 का सही उत्तर दे दिया जाए, तो उम्मीदवार परीक्षा पास कर जाता है व उसको PMGDISHA सर्टिफिकेट दे दिया जाता है।



Pradhan Mantri Digital Saksharta Abhiyan
(PMGDISHA) सर्टिफिकेट

यदि आपसे कोई **csc ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट** इस सर्टिफिकेट के बदले पैसे की मांग करता है तो आप उसे साफ़ मना कर दें व उसकी शिकायत दर्ज कराएं। यह कोर्स पूर्ण रूप से फ्री है व ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है।

Pradhan Mantri Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) हेल्पलाइन

आप अपने राज्य के हिसाब से नोडल ऑफिस का फ़ोन नंबर इस लिंक पर जा कर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई शिकायत या परेशानी होती है तो आप grievances@pmgdisha.in इस ईमेल आईडी पर उसे लिख सकते हैं। PMGDISHA से सम्बन्धी यदि आपको कोई सवाल है तो आप 1800 3000 3468 इस नंबर पर फ़ोन कर के जान सकते हैं या helpdesk@pmgdisha.in पर ईमेल भी कर सकते हैं।

Pradhan Mantri Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA)

ट्रेनिंग सेंटर कैसे खोलें?

PMGDISHA ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए आपको पहले CSC-SPV ट्रेनिंग पार्टनर बनना पड़ता है। ट्रेनिंग पार्टनर कोई भी NGO, संस्थान या कंपनी हो सकती है। पार्टनर बनने के लिए कुछ मानदंड हैं जो पूरे होने चाहिए। जैसे एक ट्रेनिंग पार्टनर को भारत में पंजीकृत एक संगठन होना चाहिए, तीन साल से अधिक समय तक शिक्षा/आईटी साक्षरता के क्षेत्र में व्यवसाय का संचालन करना और परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और कम से कम पिछले तीन वर्षों के **खातों का परीक्षित विवरण (audit)** होना। सभी मानदंड आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।